

dshh; vksj kfxd l j{kk cy
l puk
dsvkj q ea vkj{k d@vfXu %i q "k½ dh Hkrh&2021

vkWykbL vkonu i=k ds tek djus dh rkjh[k %29@01@2022 l s 04@03@2022
vfre rkjh[k % 04-03-2022 %l k; a5%00 ctsrd½

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे ydy&3] 21]700 l s 69]100@&½ में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमेय भत्तों सहित, vkj{k d@vfXu के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए Hkkjrh; i q "k नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वे केओसुब अधिनियम और नियम के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड, के अंतर्गत लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- 1.1 आवेदन पत्रों को केवल "vkWykbL" माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- 1.2 'kkjhfd n{krk ijh{k.k %i hbMh%@'kkjhfd ekud ijh{k.k %i h, lVh%@vks evkj@dEl; Wj vk/kkfjr ijh{kk %i hchVh% ekM ds varxR fyf[kr ijh{kk} nLrkost lR; kiu %Mhoh% foLrr fpdfRl k ijh{k.k %Mh, eb%@i qfoykdu fpdfRl k ijh{k.k %v/kj, eb% ij fu/kkfjr vksj vk; kftr fd; k tk, xkA
- 1.3 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होगी।
- 1.4 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा और पीईटी/पीएसटी के पूर्ण होने के पश्चात्, लिखित परीक्षा में और प्रत्येक राज्य और/संघ शासित प्रदेश को आबंटित रिक्तियों और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी।
- 1.5 विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा, आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियां केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
- 1.6 आतंकवाद/नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की सूची vuyXud&IX पर उपलब्ध है।
- 1.7 केवल वे अभ्यर्थी जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा।
- 1.8 मूल प्रतियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन (डीवी) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) से पहले किया जाएगा।
- 1.9 चयनित किए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए-VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.-32012-एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण भर्ती के लिए समरूप दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।
- 1.10 सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट <https://cisfreett.in> पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया पर अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है।
2. orueku % पे-लेवल-3 (21,700-69,100 रु.)
3. jk"Vh; rk@ukxfjdrk % अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4. f jfDr; ka %&f jfDr; ka dk fooj .k fuEukuđ kj g%&

dZl a	jkt; @l 2k 'kkfl r insk	{ks=	vukjf{kr	bMcy; w l	v-tk	v-t-tk	v-fi-o-	dy
1	अंडमान एवं निकोबार	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	0
2	आंध्रप्रदेश	संपूर्ण राज्य	11	3	5	2	7	28
		नक्सल क्षेत्र	21	5	8	3	14	51
3	अरुणाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	3	0	0	6	0	9
4	असम	संपूर्ण राज्य	45	11	7	12	28	103
5	बिहार	संपूर्ण राज्य	27	6	9	0	16	58
		नक्सल क्षेत्र	30	6	10	1	18	65
6	चंडीगढ़	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	1
7	छत्तीसगढ़	संपूर्ण राज्य	6	1	2	4	1	14
		नक्सल क्षेत्र	10	3	3	8	2	26
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	संपूर्ण राज्य	4	1	1	2	2	10
10	गोवा	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	1
11	गुजरात	संपूर्ण राज्य	14	4	2	5	9	34
12	हरियाणा	संपूर्ण राज्य	6	1	3	0	4	14
13	हिमाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	2	0	1	0	1	4
14	जम्मू एवं कश्मीर	संपूर्ण राज्य	18	4	3	5	11	41
15	झारखंड	संपूर्ण राज्य	7	2	2	5	2	18
		नक्सल क्षेत्र	28	7	8	18	8	69
16	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	14	3	6	2	9	34
17	केरल	संपूर्ण राज्य	10	2	2	0	5	19
		नक्सल क्षेत्र	11	2	2	0	6	21
18	लद्दाख	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	1
19	लक्षद्वीप	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	संपूर्ण राज्य	17	4	6	8	6	41
		नक्सल क्षेत्र	4	1	1	2	1	9
21	महाराष्ट्र	संपूर्ण राज्य	28	6	6	6	17	63
		संपूर्ण राज्य	3	1	1	0	2	7
22	मणिपुर	संपूर्ण राज्य	4	1	0	5	1	11
23	मेघालय	संपूर्ण राज्य	4	1	0	6	0	13
24	मिजोरम	संपूर्ण राज्य	2	1	0	2	0	5
25	नागालैंड	संपूर्ण राज्य	3	1	0	3	0	7
26	ओडीशा	संपूर्ण राज्य	10	2	4	5	3	24
		नक्सल क्षेत्र	14	3	5	8	4	34
27	पुडुचेरी	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	1
28	पंजाब	संपूर्ण राज्य	6	2	5	0	3	16
29	राजस्थान	संपूर्ण राज्य	16	4	6	5	8	39
30	सिक्किम	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	संपूर्ण राज्य	18	4	8	0	11	41
32	तेलंगाना	संपूर्ण राज्य	8	2	3	2	5	20
		नक्सल क्षेत्र	4	1	1	1	3	10
33	त्रिपुरा	संपूर्ण राज्य	5	1	3	6	0	15
34	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण राज्य	46	11	24	1	30	112
35	उत्तराखंड	संपूर्ण राज्य	3	1	1	0	1	6
36	पश्चिम बंगाल	संपूर्ण राज्य	21	5	12	2	11	51
		नक्सल क्षेत्र	2	0	1	0	0	3
		dy	489	113	161	137	249	1149

¼ f{krk(kj %; wkj & vukjf{kr} bMcy; w l & vkfFkD : lk l s detkj ox] , l l h & vud #pr tkfr] , l Vh & vud #pr tutkfr] vkchl h & vfr fi NMk ox½

- 4.1 रिक्तियाँ अस्थायी हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfreect.in पर सूचित किया जाएगा।
- 4.2 10 प्रतिशत रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। यदि उपयुक्त ईएसएम अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियाँ संबंधित श्रेणियों के गैर ईएसएम अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।
- 4.3 चूंकि रिक्तियाँ राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं, अतएव अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश का 'अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न किए जाने पर उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के द्वारा जारी अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र को बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए।
- 4.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी।
- 4.5 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है।

5. ik=rk ekunM

- 5.1 'kfk.kd vqrk% – अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले foKku fo"k; ds l kfk एक मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
- 5.2 vk; q l hek% ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि vk; q l hek 04-03-2022 को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 05-03-1999 से पहले और 04-03-2004 के बाद नहीं होना चाहिए।
- 5.2.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए उपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है :-

dZl a	Js kh	mijh vk; q l hek ds ckn vuqr vk; qNW
i)	अ.जा./अ.ज.जा. (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii)	अ.पि.व. (ओबीसी)	3 वर्ष
iii)	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में से घटाने के पश्चात 3 वर्ष।
iv)	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे।	अनारक्षित – 5 वर्ष अ.पि.व. – 8 वर्ष अ.जा./अ.ज.जा – 10 वर्ष

- 5.3 'kkjhfd ekud : पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं :-

- a) कद – 170 सेमी।
b) सीना – 80-85 सेमी (5 सेमी का न्यूनतम फुलाव)

- 5.3.1 अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-

क.सं.	fuEufyf[kr grqNW	dn	l huk
i)	गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोहरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी।	165 सेमी.	78-83 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)
	**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित "मीउजा" उप प्रभाग शामिल हैं:- (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पैंगा (18) नाईपेनिया।		
ii)	मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5 सेमी.	77-82 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)

- 5.4 Hkkj & चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात। वजन को भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वजन के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा।
- 5.5 fpdfRI k ekud & चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच का चिकित्सीय परीक्षण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए-VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई-32012-एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और समय समय पर यथा संशोधित द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के लिए समरूप दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।
- 5.5.1 VS/w % टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-
- क) I kexh : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिह्न, भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार, अनुमत होंगे।
- ख) LFku : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमत है।
- ग) vkdkj : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।
- ukV/&A वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।
- ukV/&AA अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए किसी तदनुरूपी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ukV/&AAA भूतपूर्व सैनिक अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों को लेने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के तहत सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं। तथापि, वे तदनुरूपी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि नागरिक नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्होंने संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्रियों जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथाउल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रदान की हो।
- ukV/&IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण देय नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
- व्याख्या - I cPpkA l s rkRi ;' - पुत्र (गोद लिए गए पुत्र सहित) अथवा पुत्री (गोद ली गई पुत्री सहित)।
- व्याख्या - II i fjkj ds vkfJr l nL; ka l s rkRi ;Z & पति अथवा पत्नी अथवा अविवाहित पीड़ित के मामले में बच्चे अथवा भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित पर दंगों में मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित थे वे पात्र होंगे। इस श्रेणी में उपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.6 ^Hkw i wZ l \$ud** l s rkRi ;Z ml 0; fDr l s g\$
- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो।
- (a) जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, अथवा
- (b) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हों, अथवा

- (c) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हो।
- (ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा अनिरन्तर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।
- (iii) "सेना डाक सेवा" के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 8 माह से अधिक की अवधि के लिए "सेना डाक सेवा" में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।
- (v) "क्षेत्रीय सेना" कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।
- (vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त।

5.6.1 I ok ea 0; o/ku % ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

5.6.2 fpdfRI k Jsk % I ok fuofr ds l e; 'AYE' अथवा 'SHAPE-' होनी चाहिए।

5.6.3 I ok eDr ds l e; pfj= % आदर्श/बहुत बढ़िया।

6. iek.ku dh ifdz; k vkj iek.k&i=kdk ik: i %

- 6-1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं।
- 6-2 अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में भर्ती हेतु, उनकी अधिवासी स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध vf/kokl h@LFkk; h vkokl iek.k i = %i hvkjl h½ के प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। अधिवासी/पीआरसी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश के होने चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी।
- 6-3 अभ्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाति और अधिवासी प्रमाण पत्र उसी राज्य के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- 6-4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी के पास एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह विकल्प रहेगा कि वे मूल राज्य में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अथवा स्थानांतरित राज्य में अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में बैठना चाहते हैं। ऐसे विकल्प को अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में भरना होगा। ऐसे विकल्प को बदलने का अनुरोध आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र में अपने मूल जिले एवं राज्य के साथ-साथ अपने वर्तमान अधिवास के जिले एवं राज्य को भी दर्शाना होगा और उसकी अभ्यर्थिता मूल राज्य से मानी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6-5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जाति/समुदाय प्रमाण पत्र रखता है और एक निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को कीमी लेयर में नहीं आता है।
- 6-6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का दावा करने की निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

- 6-7 उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता के सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं और अन्य लाभ लेना चाहते हैं।
- 6-8 चूंकि असम राज्य अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।
- 6-9 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में रह रहे हैं परंतु जिन्हे केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से अधिवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को अनुलगनक-VII के अनुसार डब्ल्यूपीआर से जन्म/पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7. वक्रणों की सूची

- 7-1 आवेदन पत्रों को केओसुब की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस सूचना के [vuyxud&I](#) और [vuyxud&II](#) को देखें। [^,d ckj iathdj.k](#)* के नमूना प्रपत्र और ऑनलाइन [^vkonu iij=*](#) क्रमशः [vuyud&I](#), और [vuyud&II](#), के रूप में संलग्न हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।
- 7-2 **vkllykbu vkonu iij = eij vli; fflk; ka dks fuufyf[kr nLrkostka dks vi ykM djuk vi f[kr glsk %**
- [Qk3kskQ dks vi ykM djuk](#) – जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो ([vFkkz ijh{kk dh lwpuk ds cdk'ku dh rkjh\[k l s rhu eghus l s vfekd ijuk ugē gk%](#))। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। [ftl rkjh\[k dks Qk3ks \[kēph xA gS og Qk3ks ij Li"V : i l s Nih gkuh pkfg, A Qk3ks ij Nih rkjh\[k ds fcuk vkonu vLohdkj dj fn, tk, xA ekkyh rLohj okys vkonu Hkh vLohdkj dj fn, tk, xA](#)
 - [gLrk{kj dks vi ykM djuk](#) – जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। [vLi"V gLrk{kj okys vkonuka dks vLohdkj dj fn; k tk, xA](#)
 - [nLrkostka dks vi ykM djuk](#) – अभ्यर्थी को अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्थात् मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) के संबंध में संगत दस्तावेजों [1/4 hMh, Q ik: i 1/2](#) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- 7-3 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04-03-2022 [1/4 k; a 05%00 ct%2](#) है।
- 7-4 [vli; fflk; ka dks muds fgr ea l ykg nh tkrh gS fd os vfre frfFk l s dkQh igys vkllykbu vkonu dja vkj mlga vfre fnuka ds nkjku ocl kbM ij vR; f/kd ykM ds dkj.k bā/ju/ dh l hkkfor fcPNsrk@ykw bu u gkuk vfkok ykw bu ea vl Qyrk l s cpus ds fy, vfre frfFk dk brTkj ugh djuk pkfg, A](#)
- 7-5 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि के रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7-6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में दिए गए सही मोबाईल नम्बर तथा सक्रिय ईमेल आईडी ही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना एसएमएस अथवा ई मेल के माध्यम से दी जाएगी।
- 7-7 अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनुमत है। यदि एक अभ्यर्थी द्वारा किए गए एक से अधिक आवेदन पत्रों का पता चलता है तो उसके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8. वक्रण 'क' %

- 8-1 देय शुल्क : रूपए 100/- (रूपए एक सौ केवल)
- 8-2 आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- 8-3 शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डों और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 8-4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन शुल्क का भुगतान 04-03-2022 12:00 ct तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में 07-03-2022 तक नकद रूप में कर सकते हैं, बशर्त उनके द्वारा चालान 04-03-2022 12:00 ct से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।
- 8-5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9. ijkkl eaisk %

- 9-1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में अंतिम तिथि और समय पर आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
- 9-2 विभाग पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच नहीं करेगा। इसलिए अभ्यर्थिता को केवल अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 9-3 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाईन तरीके से सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सीआईएसएफ की वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहें जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट मिलता रहे।
- 9-4 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपने नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9-5 पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।
- 9-6 वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न हो पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा अथवा डीवी/डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआईएसएफ से संपर्क करना चाहिए।
- 9-7 प्रवेश पत्र के अलावा दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिंट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो वाले पहचान पत्र की भली भांति प्रिंट की गई प्रतियां पहचान के उद्देश्य के लिए लानी होंगी।
- 9-8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएससी/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9-9 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा।
- 9-10 धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10-1 'kjhfjd n{krk ijh{kk %h hVh%@'kjhfjd ekud ijh{k.k %h h, l Vh% : सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच दस्तावेज सत्यापन(डीवी) के समय की जाएगी। इसलिए, पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस नोटिस में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाईट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी से पहले पीईटी (दौड़) के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण (बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई)/दाहिने अंगूठे का निशान (आरटीआई)/उंगलियों का निशान) से गुजरना होगा। पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करने के बाद और पीईटी/पीएसटी बोर्डों द्वारा पीएसटी से पहले किसी भी छूट अर्थात् आयु, कद और सीना माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारियों से vuyXud&VI में निर्धारित प्रोफार्मा में पीईटी/पीएसटी के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

10-1-1 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को केवल कद, सीना और वजन के माप की रिकार्डिंग के लिए पीईटी/पीएसटी में शामिल होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि, उन्हें विक्रिस्ता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

10-1-2 'kjhfjd n{krk ijh{kk : (पीईटी) अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा।

10-1-3 'kjhfjd ekud ijh{kk %h h, l Vh% – वे अभ्यर्थी जो हाईटबार परीक्षा और पीईटी (दौड़) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद/सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं :-

i) कद –170 सेमी।		
ii) सीना – 80–85 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)		
iii) अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-		
fuEufyf[kr grqNW	dn	l huk
क) गढ़वाल, कुमायूँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोहरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी।	165 सेमी	78–83 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)
**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित "मीउजा" उप प्रभाग शामिल हैं:- (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बारायेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पैंगा (18) नाईपेनिया।		
ख) मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5 सेमी।	77–82 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)

10-1-4 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के लिए कोई अपील नहीं होगी।

10-2 vks evkj@dEl; wj vk/kkfjr ijh{kk %h hchVh% ekM ds rgr fyf[kr ijh{kk %&

10.2.1 पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी:-

Hkkx	fo"k;	i'zuka dh l a; k	vf/kdre vad	vof/k@l e; l hek
भाग-ए	सामान्य बुद्धि और तर्क	25	25	120 मिनट
भाग-बी	सामान्य ज्ञान और जागरूकता	25	25	
भाग-सी	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग-डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

- 10.2.2 I Hkh vH; fFk; ka dh igpku fyf[kr ijh{kk l s igys ihbMh@ih, l Vh ds l e; i at h d r ck; k e f V d i f j p; i = l s l R; k f i r d h t k, x h A
- 10.2.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/ कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- 10.2.4 परीक्षा की तारीखों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in के माध्यम से दी जाएगी।
- 10.2.5 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 10.2.6 लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 10.2.7 लिखित परीक्षा में प्रश्न 12वीं कक्षा %oKku fo"k; ½ के स्तर के होंगे।
- 10.2.8 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल/लैब के अंदर इनको नहीं लाना चाहिए।
- 10.3 विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डी एम ई) के संचालन से पहले, निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे।
- आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र।
 - रक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी)।
 - भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों से [vuyXud&VIII](#) में निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और वचनबद्धता।
 - आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस के [vuyXud&III](#) [vuyXud&IV](#) [vkj vuyXud&V](#) में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)।
 - कद/सीना माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के [vuyXud&VI](#) में यथा निर्धारित प्रमाण पत्र।
 - इस अधिसूचना के पैरा-5.2.1 के तहत श्रेणी (iv) में यथा उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।
 - नोटिस के [vuyXud&VII](#) में निर्धारित प्रारूप में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा जन्म/पहचान प्रमाण पत्र।
- 10.4 nLrkost l R; ki u vkj f p f d R l k i j h { k k % पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा के पूरा होने के बाद, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को आबंटित रिक्तियों के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और श्रेणीवार मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार घयन सूची में स्थान पाते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन (डीवी) में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

11. p; u dk rjhdk %

- 11.1 भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), और ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी।
- 11.2 अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा/सीबीटी में योग्यता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा:
 अना./ईडब्ल्यूएस/भूपू सैनिक : 35 %
 अजा./अजजा./अपवि. : 33 %
- fVli .kh%& अर्हक अंक का अर्थ है कि योग्यता अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही रिक्रियां अधूरी रह जाएं। अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर और आबंटित रिक्रि के अनुसार प्रत्येक राज्य/श्रेणी के कट ऑफ अंक के आधार पर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।
- 11.3 esjV fyLV :- पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रिक्रियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य और श्रेणीवार मेरिट सूची अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अलग से तैयार की जाएगी।
- 11.3.1 VkbZ ekeyka dk l ek/kku : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, जब तक टाई का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा:
- बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
 - आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
 - यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी और;
 - यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी।
- 11.3.2 अभ्यर्थियों को एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्रियों के लिए और इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों की रिक्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज सत्यापन/विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा। vH; fFkZ ka dks cgr l koekku jguk pkfg, vkj v,uykbu vkonu i = ea vf/kokl h jkT; vkj ftys ds ckjs ea tkudkjh çnku djrs l e; mfpr vH;kl djuk pkfg, A vkonu i = tek djus ds ckn vf/kokl h jkT; vkj ftys ds ifjorU ds fd l h Hkh vugkjk ij fd l h Hkh ifjLFkfr ea fopkj ugE fd; k tk, xkA ; fn v,uykbu vkonu i = vkj nLrkost l R; ki u@Mh, eA ds l e; ml ds jkjk tek fd, x, vf/kokl h çek.k i = ea vH; FkhZ }kjk mfYyf[kr ftys vkj @; k jkT; ea dkA fHkUurk g\$ rks ml dh vH; fFkZrk rjr j i dj nh tk, xh vkj ml sfoLrR fpfdRI k ij h{kk ea Hkkx yus dh vuqfr ugE nh tk, xhA
- 11.3.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें समग्र मेरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार रिक्रियों की आरक्षित संख्या के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्रियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।
- 11.3.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो छूट मानकों जैसे आयु सीमा, कद और सीना माप, लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई संख्या से अधिक अंक आदि, के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्रियों के विरुद्ध गिना जाना है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, पूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए अनुमत है और इस तरह की छूट को उम्र के संबंध में छूट मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 11.3.5 fpfdRI k ij h{kk%— प्रत्येक श्रेणी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रिक्रियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

12. fu.kz % पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा के आयोजन, मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. vH; fFkz; ka dks egRo i wkz funz k %

- (i) आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम तिथि से पहले के दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- (iii) मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमआई) के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं को जांच ले और खुद को संतुष्ट कर ले कि वे पद के लिए पात्र हैं। जब दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों की जांच की जाती है, तो आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (iv) इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- (v) एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक सूचित विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवास के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र में वर्तमान अधिवास के जिले और राज्य के साथ-साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा।
- (vi) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- (vii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।
- (viii) देय शुल्क: 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये)। आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।
- (ix) अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपनी दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।
- (x) ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को उम्र और शैक्षणिक योग्यता (अर्थात् मैट्रिक सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट) के संबंध में संबंधित दस्तावेजों की फोटो, हस्ताक्षर और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता है।
- (xi) vH; fFkz; ka dks cgr I koekku jguk pkfg, vkj v,uykbu vkonu i = ea vf/kokl h jkT; vkj ftys ds ckjs ea tkudkj h cnu djs l e; mfr vH; kl djuk pkfg, A vkonu i = tek djus ds ckn vf/kokl h jkT; vkj ftys ds ifjorU ds fd l h Hkh vugksk ij fd l h Hkh ifjLFkr ea fopkj ug fd; k tk, xkA ; fn v,uykbu vkonu i = vkj nLrkost l R; ki u@Mh, eA ds l e; muds }kjk tek fd, x, vf/kokl h cek.k i = ea vH; Fkhz }kjk mfyf[kr ftys vkj @; k jkT; ea dkA fHkUrk i kA tkrh g} rks mudh vH; fFkzrk rjg j i dj nh tk, xh vkj mlgafolr r fpdfrl k i jh{kk ea Hkxk yus dh vufr ugE nh tk, xhA
- (xii) परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय उचित अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- (xiii) घुंघली अथवा अस्पष्ट तस्वीर/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- (xiv) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ईमेल/स्वयं आदि के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xv) जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार माना जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (xvi) अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियुक्त आईडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र पहचान के उद्देश्य के लिए परीक्षा स्थल पर लाना चाहिए। ;fn Qk%ks igpku i= e% tle frffk fy[kh gÅ ugē g\$ rks vlt; FkhZ dks viuh tle frffk ds çek.k e% ,d vfrfjÄ ey çek.k i= ykuk gkxkA ço\$ k i= e% mfYyf[kr tle frffk vkj tle frffk ds leFkU e% yk, x, Qk%ks vkÅMh@ çek.k i= e% ey ugē gkus dh fLFkr e% vlt; FkhZ dks ijh{k e% cBus dh vuøfr ugē nh t k, xhA
- (xvii) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (xviii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
- (xix) पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और डीवी/डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जारी/अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in देखें।
- (xx) यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।
- (xxi) यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी ऊर्जावान दवा/ड्रग आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- (xxii) किसी भी जानकारी के लिए, जैसे आवेदन भरने एवम् पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है, तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर 011-24366431/24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।
- (xxiii) भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2-3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xxiv) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के समय, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के पहले या बाद में या नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/बल में शामिल होने के बाद भी, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन रद्द कर दिया जाएगा।
- (xxv) परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार जब तक प्रदान नहीं करती, जब तक विभाग अनिवार्य समझी जाने वाली ऐसी जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।
- (xxvi) यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
- (xxvii) यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (xxviii) सीआईएसएफ का प्रयास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करना है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे bnykyk | s | koëku jgA

¼v,uykbu vkonu Hkjus dh çfØ; k½

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बार पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना

Hkx &1 ¼ d ckj i at hdj .k½

अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण एक स्थायी डेटाबेस होगा। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन *i at hdj .k Q,eI और *vkonu i =* भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एक बार पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज तैयार रखें:

- क. मोबाइल नंबर
- ख. ईमेल आईडी (सत्यापित ई-मेल के माध्यम से सत्यापन किया जाना है)।
- ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करें। (बाद में आपको मूल दस्तावेज भी दिखाना होगा):
 - i. मतदाता पहचान पत्र
 - ii. पैन कार्ड
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आईडी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम / निजी)
- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10 वी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

i gyh ckj i at hdj .k dI s dj :-

1. सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.cisfrectt.in> पर लॉग ऑन करें।
2. होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3. नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4. एक बार पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरने की आवश्यकता होती है:
 - क. मूल विवरण
 - ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा।
5. *, d ckj i at hdj .k Q,eI Hkjus ds fy,] –i ; k fuEufyf[kr pj .kka dk ikyu dj%
 - क. कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के प्रासंगिक कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डेटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत लाल रंग के शब्दों में दिया जाएगा।
 - ख. अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिक (10 वी कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं। यदि मैट्रिक के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
 - ग. अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वी कक्षा) प्रमाणपत्र में दिया गया है।
 - घ. अपनी माता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वी कक्षा) के प्रमाण पत्र में दिया गया है।
 - ङ. अपनी जन्मतिथि Bhd वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वी कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
 - च. अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
 - छ. सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
 - ज. अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
 - झ. अपना मैट्रिक (10 वी कक्षा) परीक्षा का विवरण भरें जिसमें शामिल हैं:

- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
 - iv. अपने शैक्षिक योग्यता के स्तर (उच्चतम) के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- अ. स्थायी और वर्तमान पते सहित अपना संपर्क विवरण भरें।
 - ब. अपना कयाशील मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
 - क. 'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'Okbuy I cfeV' बटन पर क्लिक करें।
 - ख. पूर्ण होने पर, आपका डेटा सहेज लिया जाएगा और आपकी पंजीकरण-संख्या और पासवर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा।
 - ड. अपनी पंजीकरण-संख्या का "यूजर्सनेम" के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए "ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करें।
6. vki dks iµ% I koekku fd;k tkrk gS fd uke] fir k dk uke] ekrk dk uke] tle frffk] eSVd ijh{kk dk fooj.k Bhd oS k gh Hkjk tkuk pkfg, tS k fd eSVd çek.ki = ea ntZfd;k x;k gS =Viµk@xyr tkudkj ds ekeys ea vki dh vH; ffrk j í dh tk l drh gS



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24386431

011-24307932



cisfrectt@cisf.gov.in

New Registration

Basic Details	
Name:*	<input type="text" value="USER TEST"/> <p>Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Ms./Shri etc. मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए नाम (श्री / श्रीमती / श्री आदि का उपयोग न करें।)</p>
Verify Name:*	<input type="text" value="USER TEST"/>
Have you ever changed Name?*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
New Name/Changed Name :	<input type="text"/>
Father's Name:*	<input type="text" value="FATHER TEST"/> <p>Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Shri etc. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए पिता का नाम (श्री / श्री आदि का उपयोग न करें।)</p>
Verify Father's Name:*	<input type="text" value="FATHER TEST"/>
Mother's Name:*	<input type="text" value="MOTHER TEST"/> <p>Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए माता का नाम (किसी भी उपसर्ग जैसे श्रीमती / एमआरएस का प्रयोग न करें आदि।)</p>
Verify Mother's Name:*	<input type="text" value="MOTHER TEST"/>
Date of Birth:*	<input type="text" value="01-01-2001"/> <p>Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि</p>
Verify Date of Birth:*	<input type="text" value="01-01-2001"/>
Gender:*	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
Verify Gender:*	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
Enter letter as shown	<input type="text" value="crH3L8"/> <input type="text" value="crH3L8"/> refresh
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Close"/>	



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24306431
011-24307352



cidirect@cisf.gov.in

Personal Details Form

Name:*	<input type="text" value="X"/>
Changed Name:*	<input type="text"/>
Father's Name:*	<input type="text" value="X"/>
Mother's Name:*	<input type="text" value="x"/>
Date of Birth:*	<input type="text" value="2000-01-01"/>
Gender:*	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender

Basic Details

Do you have Aadhaar:*	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO						
Aadhaar Number:	<input type="text"/>						
Verify Aadhaar Number:	<input type="text"/>						
	<p>If Aadhaar not available</p> <p>Enter Photo Bearing Card Details:</p> <table border="1"> <tr> <td>Type Of Card</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eg. Voter Card, Driving License etc.</td> </tr> <tr> <td>Number</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Type Of Card	<input type="text"/>		Eg. Voter Card, Driving License etc.	Number	<input type="text"/>
Type Of Card	<input type="text"/>						
	Eg. Voter Card, Driving License etc.						
Number	<input type="text"/>						
Category:*	<input type="radio"/> OSC <input type="radio"/> OST <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> EWS <input checked="" type="radio"/> General						
Verify Category:*	<input type="radio"/> OSC <input type="radio"/> OST <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> EWS <input checked="" type="radio"/> General						
Whether you belong to Religious Minority Community?:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No						
Nationality:	<input type="text" value="Indian"/>						
If person with disability?:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No						

Matriculation(10th Class) Examination Details

Education Board	<input type="text"/>
Verify Education Board	<input type="text"/>
Roll No	<input type="text"/>
Verify Roll No	<input type="text"/>
Year of passing	<input type="text"/>
Verify Year of passing	<input type="text"/>
Level of Education Qualification	Select <input type="text"/>





Contact Details Form

House No.	<input type="text"/>
Village/Ward.*	<input type="text"/>
Post*	<input type="text"/>
Police Station*	<input type="text"/>
State*	Select State <input type="text"/>
District*	Select district <input type="text"/>
Pin Code*	<input type="text"/>
If Permanent address and Present address are the same.	Check this box <input type="checkbox"/>
Present Address*	
House No.	<input type="text"/>
Village/Ward.	<input type="text"/>
Post	<input type="text"/>
Police Station	<input type="text"/>
State	Select State <input type="text"/>
District	Select district <input type="text"/>

Pin Code	<input type="text"/>
STD Code:	<input type="text"/>
Phone Number:	<input type="text"/>
Mobile Number:*	<input type="text"/>
Verify Mobile Number:*	<input type="text"/>
Email Id:*(Give valid Email ID. All future communication will be send on this Email ID.)	<input type="text"/>
Confirm Email Id:*	<input type="text"/>
<p>Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.</p> <p><input type="checkbox"/> I agree.</p>	
Enter letter as shown in the Image	<input type="text"/> 
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Close"/>	

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :
क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (vFkkř ijh{kk dh l ¼puk ds çdk'ku dh rkjh{k l s rhu eghus l s vfëkd ijgkuk ugř gk½)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। ftl rkjh{k dks Qk¼ks [křph xÅ gS og Qk¼ks ij Li"V : i l s Nih gkuh pkfg, A Qk¼ks ij Nih rkjh{k dsfcuk vkonu [kkřt dj fn, tk, xÅ èk¼kyh rLohj okys vkonu Hkh [kkřt dj fn, tk, xÅ
- ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। vLi"V gLrk{kj okys vkonuka dks vLohdj dj fn; k tk, xÅ
2. पंजीकृत अभ्यर्थी अपने 'पंजीकरण-संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं।
3. सीआईएसएफ भर्ती की वेबसाइट अर्थात <https://www.cisfrectt.in> पर लॉग इन करें और 'l hVh&Qk; j 2021' टैब पर क्लिक करें।
4. आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. नया पृष्ठ खुलेगा, जहां अभ्यर्थी 'ošyM¼ Äey' टैब पर क्लिक करके अपने ईमेल को सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, *dk¼Vcy Qk; j&2021' टैब पर क्लिक करें और फिर *vkonu i=' पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा भरा गया डेटा/विवरण स्वचालित रूप से आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्रों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।
6. एक बार जब अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर देता है, तो उसे नीचे *l cfeV vkš dš y* नामक दो बटन मिलेंगे, यदि अभ्यर्थी कैंसल बटन का उपयोग करता है, तो वह आवेदन पत्र से बाहर आ जाएगा। कोई डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा।
7. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और l cfeV bटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके द्वारा भरा गया सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।
8. mijkš Øekad l ř; k &1¼d½ ds fuřn"Vkuř kj vi uk gky gh dk Qk¼ks ¼ ijh{kk dh l ¼puk ds çdk'ku dh frřk l s rhu eghus l s vfëkd ijgkuk ugř½ vi ykM djš
9. क्रमांक संख्या – 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। èk¼kys gLrk{kj okys vkonuka dks vLohdj dj fn; k tk, xÅ
10. ऊपर अपलोड किया गया फोटो परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटो लिया गया है उस पर स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए।
11. vk; q vkš 'kš{k d ; kš; rk ds çek.k ds fy, ešVdyšku l AvfQdš vkš l hf; j l dš¼j h ijh{kk l AvfQdš dh Ldš d, ih vi ykM djš
12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।
13. अब भुगतान विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि vki 'kš'd N¼ ds ik= gš और उन्हें *vkonu fiš/ करें' का विकल्प मिलेगा।
14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
15. शुल्क भुगतान मोड का विकल्प का चयन करते हुए, शुल्क का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान जेनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा करके शुल्क का भुगतान करें। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जेनरेट करेगा और सीआईएसएफ को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।
16. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।

	CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE Ministry Of Home Affairs	 For Any Query Helpline No. 011-24306431 011-24307932
		 cisfrecr@cisf.gov.in

<p>New Registration</p> <p>Edit Registration</p> <p>Date of Birth: <input type="text"/></p> <p>Registration No: <input type="text"/></p> <p>Password: <input type="text"/></p> <p>Enter letter as shown</p> <p>Czcr8G refresh</p> <p><input type="button" value="Submit"/></p>	<p>Instructions to Candidates</p> <p>RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTSMEN AND WOMEN TO THE POST OF HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2021 IN CISF  (notifications/SPORTS_ENGLISH_NOTIFICATION_22.pdf)</p> <p><u>के औसत में खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य कर्मी) के पद पर जल्द पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों की भर्ती - 2021</u>  (notifications/SPORTS_HINDI_NOTIFICATION_22.pdf)</p> <p>RECRUITMENT OF ASI EXE THROUGH LDCE FOR THE YEAR 2021 NOTIFICATION  (notifications/3815.pdf)</p> <p>IMPORTANT NOTICE  (notifications/important_notice.pdf)</p>	<p>Current Openings</p> <p>HC-MIN 2019</p> <p>CT-FIRE 2021</p>
--	--	---

	CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE Ministry Of Home Affairs	 For Any Query Helpline No. 011-24306431 011-24307932
		 cisfrecr@cisf.gov.in

CT-FIRE 2021

Login

Registration No:	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Enter letter as shown in the Image	<input type="text"/>
	<p>W9btfB refresh</p>
	<p><input type="button" value="Submit"/></p>

[Forgot Registration ID & Password](#)



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932




cisdirect@cisf.gov.in

Welcome - X(CISF2300000157)

[Logout \(logout.php\)](#)

[Validate Email \(email_input_fire.php\)](#)



Constable Fire - 2021



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932



cisdirect@cisf.gov.in

Welcome - X(CISF2300000157)

[Logout \(logout.php\)](#)

[Back \(menu_home_fire.php\)](#)

[Validate Email \(email_input_fire.php\)](#)

[Constable/Fire-2021 Application.](#) [Print Application](#)



Home

Application Form

Upload Images and Documents

Fee Payment

Print Form

Logout

(All * Fields are Mandatory)

Name of the candidate	X
Father's Name	X
Mother's Name	X
Date Of Birth	01-01-2001
Gender	male
Category	SC
Nationality	INDIAN

State/UT of Domicile*	Select State
District of Domicile	Select

Highest Educational Qualification	Select Educational Qualification
Qualifying Educational Qualification (10+2 with Science)	12th class passed with Science subject

Religion*	Select Religion
-----------	-----------------

Whether seeking age relaxation	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
--------------------------------	---

If yes, Indicate category	<input type="radio"/> SC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> Ex-SM <input type="radio"/> Children/dependent of victims killed in 1984 riots or communal riots of 2002 in Gujarat ?
---------------------------	--

Whether belong to Militant/Naxal affected District?	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
---	---

Do you belong to Hill area (If Yes, Please choose any one from the options(Hill Category or Hill State)	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
--	---

Permanent Address*	
House No.	<input type="text"/>
Village/Ward.	<input type="text" value="1"/>
Post	<input type="text" value="1"/>
Police Station	<input type="text" value="1"/>
State	HARYANA <input type="text"/>
District	HISAR <input type="text"/>
Pin Code	<input type="text" value="123456"/>

Communication Address*	
House No.	<input type="text"/>
Village/Ward.	<input type="text" value="1"/>
Post	<input type="text" value="1"/>
Police Station	<input type="text" value="1"/>
State	HARYANA <input type="text"/>
District	HISAR <input type="text"/>
Pin Code	<input type="text" value="123456"/>

Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Is there any case pending against you in any court of law?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Has any FIR been lodged and case is pending against you?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Was any FIR ever lodged against you in the past?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
Have your services ever been terminated while on probation?	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>

Whether you are an Ex-Serviceman (ESM)	Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>
--	---

Have you migrated from the State/UT of your origin to another State/UT?	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
---	---

Marks of Visible Identification	
Mark1*	<input type="text"/>
Mark2*	<input type="text"/>

Mobile Number:*	<input type="text" value="9407952890"/>
Email Id:*	<input type="text" value="sonu4822@gmail.com"/>

Date on which Photograph has been taken*	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
--	---

Whether the Date mentioned In the photo is clearly printed on the photograph?*	<input checked="" type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO
--	---

DECLARATION	
I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.*	<input checked="" type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO
I hereby declare that all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.*	<input checked="" type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO

<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>



- Home
 - Application Form
 - Upload Documents
 - Fee Payment
 - Print Form
- [Logout](#)

Photo, Signature and certificates uploaded by you are displayed below.
 (** If not uploaded please upload here otherwise application will not be accepted **)

Upload Photo	
Upload Signature	
Matriculation Certificate for Date of Birth Proof	View File (file_view.php?url=XQ0u1tUIBwgXG4S5QLLXca0NQkuWDhWKVEOKz3DzXqng3UsspteGOCY9vTOyy0ATd4YU19X7K04jebyUitsHg)
Senior Secondary Examination Certificate:	View File (file_view.php?url=VVZ6mr6bC95KQGMf4VBKrFhFFLFBt9pphclK8kjVjNYqykq08Rc4IU1-Sw9AoVfmFEg0h79jsnjagTq_oOCA)
Continue for Payment	



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24306431
011-24307932



cidirect@cisf.gov.in

Home

Application Form

Uploaded Documents

Fee Payment

Print Form

Logout

***** Note:- You are proceeding towards payment of fee, Please do not refresh/close the page till receive successful message. *****

Proceed to pay Rs 100/- Back



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs



For Any Query Helpline No. 011-24306431
011-24307932



cidirect@cisf.gov.in

Home

Application Form

Uploaded Documents

Fee Payment

Print Form

Logout

You are eligible for Fee Exemption.

Print Application

**CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT OF CT/FIRE-2021**

1.)Application Number	FIRET2200000022	
2.)Post Applied for	CT/FIRE	
3.)Candidate Name	X	
4.)Fathers's Name	X	
4.)Mothers's Name	X	
5.)Date of Birth	01-01-2001	
6.)Gender	male	
7.)Nationality	INDIAN	
8.)Religion	HINDU	
9.)Category	SC	
10.)State/UT of Domicile	HARYANA	
11.)District of Domicile	HISAR	
12.)Highest Educational Qualification	GRADUATION	
13.)Qualifying Educational Qualification	12TH	
14.)Whether seeking age relaxation	YES (Category:SC)	
15.)Whether belong to Naxal affected district?	NO	
16.)Belongs to Hill Area	NO	
17.)(A)Communication Address:	(B)Permanent Address:	
H.No:	H.No:	
Village: 1	Village: 1	
Post: 1	Post: 1	
PS: 1	PS: 1	
District: HISAR	District: HISAR	
State: HARYANA	State: HARYANA	
Pincode: 123456	Pincode: 123456	
18.)Identification Marks:	(a)Mark (b)Mark2	
19.)Fee Details:	Fee Exempted	
21.)EX-SERVICEMEN:	NO	
22.)Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution?	NO	
23.)Is there any case pending against you in any court of law?	NO	
24.)Has any FIR been lodged and case is pending against you?	NO	
25.)Was any FIR ever lodged against you in the past?	NO	
26.)Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt.?	NO	
27.)Have your services ever been terminated while on probation?	NO	
28.)Have you migrated from the State/UT of your origin to another State/UT?	NO	
DECLARATION		
<p>(i) I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.</p> <p>(ii) I hereby declare that all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.</p>		
		 Signature

हकीर लीज् दसव/कु इन्कै इ फु; (Dr dsfy, vkonu djus okys vuđ fpr tkfr vfkok vuđ fpr tutkfr lsl ecđ/kr vkonđka ds }kjk iđr r fd; s tkus okys iek.k i = dk iđ =

; g iek.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dtkjh* i@i@h Jhxk@uxj* tks ftyk@kM*.....jkt; @lđk 'kfl r {ks*tkfr lsl Ecđ/kr gS dh igpkufu ds v/khu vuđ fpr tkfr@tutkfr* ds : i ea dh xbl gS%&	
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951"
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951"
	(जिसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सुचियाँ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूरुवाँर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
(a)	"संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
(a)	"संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
(a)	"संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
(a)	"संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
(a)	"संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
(a)	"संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
(a)	"संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
(a)	"संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
(a)	"संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
(a)	"संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
(a)	"संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990"
(a)	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991
(a)	"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
(a)	"संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
(a)	"संवैधानिक (अडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1969 खाससंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
% 2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनुजन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवाजन कर गए हैं।	
यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी गांव/नगर' जिला/खंड' राज्य/संघशासित क्षेत्र' जो किजाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए (उपरोक्त जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या दिनांक को जारी किया गया।	
% 3 श्री/श्रीमती/कुमारी और/अथवा/उसका परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर' जिला/खंड' राज्य/संघशासित क्षेत्र' में रहते हैं ।	
स्थान.....	हस्ताक्षर.....
दिनांक	"पदनाम..... (कार्यालय की उ्हर सहित) राज्य/ संघीय क्षेत्र
जो लागू न ह् ने शब्द काट दिये जायें। @d1; k jk'vfr ds fo'kV vkn'k dk á nHkz na A % ml i'gkxQ dks gV k tks ykxuu gks A	
fvli .kh : यहां प्रस्तुत शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता हैं का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।	
**vuđ fpr tkfr@vuđ fpr tutkfr@vfio dk iek.k i = tkjh djus ds fy, vf/kdr i'f/kdkfj; ks dh l pñA	
(क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिप्टिजिन्टल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हों)	
(ख) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट	
(ग) राज्य अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हों ।	
(घ) उस क्षेत्र के सब डिप्टिजिन्टल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सहायणतः निवास करते हैं।	
(ङ) प्रशासक/प्रशासन के सचिव/विकास अधिकारी (स्वाधीन)	
fvli .kh% तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक dpy jktLo folhkh; vf/kdkjh }kjk जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।	

Hkkjr ljdkj ds v/khu inkaj fu; (Dr dsfy, vksnu dju okys vll; fi NM\$oxZ l s l æi/kr vH; FkhZ }kjk iLrq fd, tkus okys iæk.k i= dk ii =

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री, श्री.....गांव/नगर.....जिला/प्रभाग.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....केसमुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्यादिनांक..... के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल..... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों %dheh ys j½ से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर.....
जिलाधिकारी/उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)
दिनांक.....

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर संशोधित।

fVli .kh %— यहां “सामान्य शब्द” का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

-----I jdkj
 iæ.k&i = tkjh djus okys ikf/kdkjh dk uke vk\$ i rk½

vkfFkd : lk l s detkj oxZ }kjk iLr r fd, tkus okys vk; vk\$ l a fRr dk iæ.k&i =

iæ.k i = l a----- fnukd-----

-----o"kl ds fy, ekl;

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी.....
 ग्राम/गली.....डाकघरजिला.....पिन कोड.....
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रके स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह
 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्षके
 लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :-

- I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति,
 अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

vkond dk gky
 dk ikl ik½/ vkdkj
 dk l R; kfi r Qk½ks

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....
 नाम.....
 पदनाम.....

- * uk\$: 1. आय सभी स्त्रोंतो को कवर करती है यानि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।
- **uk\$: 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और भाई-बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।
- ***uk\$: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहर में "परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

vk; vk\$ l a fRr iæ.k&i = tkjh djus okys vf/kdr vf/kdkfj; ka dh l uph :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और
- (iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

dn ;k I hus dh eki eā NW pkgus okys vH; fFkZ ka }kjk iLrr fd, tkus okys iæ.k i = dk ik: i

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारीपुत्र/पुत्री, श्री
गांव/जिले के तहसील/तालुका..... गांव के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ उपर वर्णित पूरे क्षेत्र के निवासियों को माना जाता है।
(गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी)
- ❖ वह से संबंधित है।
(हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की घाटी, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड व त्रिपुरा)
- ❖ वह ट्राईबल अथवा आदिवासी/मिजो/नागा से संबंध रखता है।


स्थान :.....
दिनांक:.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

- ❖ 'जो लागू न हो उन्हें काट दें।'

वि' पेहिकदलरकुह 'क.कफक' का }किकिलरु' फ, त्कुसोक्यिगपुकि =@तलेिअ.किकि =

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार.....का कार्यालय



तएववक' द'ehj@ynnk[k ds dlnz 'kkfI r inskka ea jgus okys if' पेहिकदलरकुह 'क.कफक' का dsfy, igpu
iअ.किकि =

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमतीपुत्र/पुत्री, पत्नी श्री
पूर्व में गांव.....तहसील.....जिला....., भारत विभाजन से पूर्व (अब
पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्यागली/लेन संख्या.....मोहल्ला.....
.....गांव.....तहसील.....जिला.....में रह रहे हैं जो पश्चिमी
पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत-पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गये हैं।

दिनांक :

स्थान :

I j i p@ufc j n k j @ u k ; c r g l h y n k j